बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
<u>अधिसूचना</u>

अधि0सं0 : यो0स्था03/2–03/2017 /यो0वि0, पटना, दिनांक जनवरी, 2019

श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद सम्प्रति वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के विरूद्ध माननीय सांसद की अनुशंसा पर विद्यालयों में कम्प्यूटर अधिष्ठापन, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं आवश्यक सॉफ्टवेयर के क्रय में अनियमितता बरतने तथा तत्कालीन माननीय सांसद श्री उपेन्द्र कुशवाहा द्वारा राज्य सभा से त्यागपत्र देने के बाद प्राप्त अनुशंसाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने में बरती गयी अनियमितता संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के तहत विभागीय संकल्प संख्या–6054 दिनांक 23.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17(2) के अधीन इनके विरूद्ध गठित आरोपों की जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी सह–विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा अपने ज्ञापांक 727 दिनांक 28.11.2016 द्वारा श्री प्रसाद के मामलें की सुनवाई हेतु श्री के0के0 पाठक, अपर विभागीय जांच आयुक्त, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त अपर विभागीय जांच आयुक्त के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन पत्रांक 140 दिनांक 18.05.2017 द्वारा योजना एवं विकास विभाग को समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 (क) एवं (ख) को प्रमाणित नहीं माना है। आरोप संख्या–2 में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन की प्रति श्री प्रसाद को विभागीय पत्रांक 6067 दिनांक 06.11.2017 द्वारा प्रेषित करते हुए उन्हें अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसके प्रत्युत्तर में श्री प्रसाद द्वारा अपने पत्रांक 885 दिनांक 08.12.2017 से समर्पित अभ्यावेदन में उन्हीं बातो तथा साक्ष्यों का उल्लेख किया गया, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी को समर्पित किया गया था।

उपर्युक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिशीलन के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाचं प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोप संख्या–1 को प्रमाणित नहीं तथा आरोप संख्या–2 को प्रमाणित पाया गया।

श्री प्रसाद के द्वारा बरती गयी अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (viii) के तहत वृहत दंड के रूप में पदावनत करते हुए एक पद नीचे सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर लेवल–9 (₹53100–167800) में मूल वेतन ₹71300.00 किये जाने संबंधी दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2829 दिनांक 12.06.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। आयोग ने अपने पत्रांक 2639 दिनांक 31.12.2018 द्वारा विभागीय दंड के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद सम्प्रति वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के विरूद्ध तत्कालीन राज्यसभा सासंद के त्यागपत्र देने के दो माह बाद प्राप्त अनुशंसा पत्र के द्वारा अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने में सरकार द्वारा स्थापित नियमों एव दिशा–निर्देशो का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाया गया है। प्रमाणित पाये गये आरोप की गंभीरता के मद्देनजर उन्हे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (viii) के तहत वृहत दंड के रूप में पदावनत करते हुए एक पद नीचे सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर लेवल–9 (₹53100–167800) में मूल वेतन ₹71300.00 किये जाने संबंधी दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(सुनील कुमार यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: योस्था03/2–03/2017 263 /यो0वि0, पटना, दिनांक 15 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को उनके जांच प्रतिवेदन संख्या 140 दिनांक 18.05.2017 के प्रसंग में/सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अपर निदेशक, योजना एवं विकास विभाग/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, बिहार, पटना/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–3, योजना एवं विकास विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/श्री वीरेन्द्र प्रसाद, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/19
सरकार के संयुक्त सचिव

16